भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1025

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

.....

भू-जल की निकासी

1025. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में 153 जल ब्लॉक में से 90 ब्लॉक कृषि उत्पादन हेतु भू-जल निकालने हेतु आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो जाएंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संकट से निपटने के लिए किसी भू-जल प्रबंधन कार्यक्रम बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और पंजाब राज्य सरकार सहित राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से देश के गतिशील भूजल संसाधनों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जा रहा है। नवीनतम भूजल संसाधन मूल्यांकन (2023) के अनुसार, राज्य की कुल 153 मूल्यांकन इकाइयों (एयू) जोकि आम तौर पर ब्लॉक/तहसील/तालुक आदि हैं, में से 117 को 'अति-शोषित' की श्रेणी में रखा गया है, जहां भूजल निष्कर्षण (एसओई) स्तर 100% से अधिक है। इसके अलावा, 03 एयू को 'संवेदनशील' श्रेणी में, 13 को 'उप संवेदनशील' और 20 को 'सुरक्षित' श्रेणी में रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, पंजाब के 2022 के भूजल मूल्यांकन की 2023 के साथ तुलना करने से पता चलता है कि पंजाब में भूजल निष्कर्षण (एसओई) का स्तर, जोकि कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन के संबंध में सभी उपयोगों (सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू उपयोग) के वार्षिक भूजल निष्कर्षण का अनुपात है, में 164.1% से 163.76% की मामूली गिरावट (सुधार) देखी गई है।

(ख) और (ग): जल राज्य सूची का विषय होने के कारण, भूजल विकास और प्रबंधन सहित जल संसाधनों से संबंधित मामलों की आयोजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार अपनी विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को सुगम बनाती है। पंजाब राज्य में भूजल की कमी को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं:-

भारत सरकार ने भारत के 256 जिलों (पंजाब के 20 जिलों सहित) के जल संकटग्रस्त ब्लॉकों में भूजल की स्थिति सहित पानी की उपलब्धता में सुधार करने के उद्देश्य से मिशन मोड दृष्टिकोण के साथएक समयबद्ध अभियान जल शक्ति अभियान (जेएसए) की 2019 में शुरूआत की थी। जेएसए 2023-24 में भी जारी है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन की शुरूआत की। इस मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है।

सीजीडब्लयू ने पंजाब सहित देश में जलभृत प्रणाली को निरूपित करने और उसकी विशेषता बताने के लिए राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) शुरू किया है। पंजाब में 50369 वर्ग किमी क्षेत्र में एनएक्यूयूआईएम का कार्यान्वयन किया गया है और उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु इसे राज्य के साथ साझा किया गया है। इसके अतिरिक्त एनएक्यूयूआईएम 2.0 के अंतर्गत लुधियाना और संगरूर जिलों के जल संकटग्रस्त प्राथमिक वाले क्षेत्रों में अध्ययन कार्य किया जा रहा है।

सीजीडब्लयूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान - 2020 तैयार किया है जिसमें परियोजना और अनुमानित निवेश की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। मास्टर प्लान में 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) पानी के दोहन हेतु देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। पंजाब में, मास्टर प्लान के अंतर्गत लगभग 1200 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) वर्षा जल के दोहन हेतु लगभग 11 लाख वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं की परिकल्पना की गई है।

मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मॉडल विधेयक परिचालित किया है ताकि वे इसके विकास के विनियम हेतु उपयुक्त भूजल कानून बना सकें। अब तक, पंजाब सहित 21 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल कानून को अपनाया और कार्यान्वित किया है।

भूजल पर निर्भरता कम करने और जल स्तर को बहाल करने के संबंध में जनता में जागरूकता फैलाने हेतु जमीनी स्तर पर कई प्रशिक्षण और सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इनके अतिरिक्त, पंजाब राज्य सहित देश में सतत भूजल प्रबंधन हेतु केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदमों को https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2023/02/2023021742.pdf पर देखा जा सकता है।

साथ ही, पंजाब राज्य में भूजल के सतत प्रबंधन हेतु पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों संबंधी जानकारी को अनुलग्नक पर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

'भू-जल की निकासी' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1025 जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2024 को दिया जाना है, के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

भूजल के सतत प्रबंधन हेतु पंजाब सरकार द्वारा की गई पहल

1. पंजाब राज्य में भूजल के सतत प्रबंधन हेतु पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं-
2. पंजाब जल संसाधन विनियमन और विकास प्राधिकरण (पीडब्ल्यूआरडीए) की स्थापना पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2020 अधिनियम की धारा 3 के तहत की गई है। प्राधिकरण एकीकृत राज्य जल योजना (आईएसडब्ल्यूपी) के अनुसार राज्य में जल संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन सुनिश्चित करेगा।
3. राज्य सरकार ने जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के प्राथमिक उद्देश्य सेएक समर्पित भूजल निदेशालय स्थापित किया है।
4. पंजाब सरकार ने मैसर्स मिकोरॉट, इजराइल की राष्ट्रीय जल कम्पनी को पंजाब राज्य में जल संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य सौंपा है।
5. पंजाब उप-मृदा जल संरक्षण अध्यादेश, 2008 - अध्यादेश में 10 मई से पहले धान की बुवाई नर्सरी और राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित धान की रोपाई अर्थात् 15 जून से पहले करने का प्रावधान है। अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन, विनिर्दिष्ट या अधिसूचित तारीखों से पहले बोए गए या रोपाई किए गए धान की नर्सरी को नष्ट करने में हुए खर्च के अलावा जुर्माना लगाया जाता है।
6. वर्ष 2019-20 में जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय अनुकूलन के अंतर्गत धान से मक्का का विविधीकरण। वर्ष 2019-20 के दौरान कपास के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है।
7. कृषक समुदायों में लेजर लैंड लेवलिंग, जीरो टिलिंग आदि जैसे संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी (आरसीटी) को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार इस मशीनरी को उचित भाड़े पर लेने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है।
8. पानी की बचत के लिए लंबी अवधि में उगने वाली किस्मों की तुलना में मध्यम/लघु अवधि में उगने वाली चावल की किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बारे में जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर के शिविरों में जानकारी प्रसारित की जा रही है। इसके अलावा, इन किस्मों को प्रदर्शनी के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जा रहा है।
9. मुख्य नगर योजनाकार, स्थानीय सरकार विभाग, पंजाब की दिनांक 28.12.2005 की अधिसूचना संख्या 10/19/05-2एलजी/803 III द्वारा भवन उपनियमों में संशोधन करके 200 वर्ग गज से ऊपर की सभी इमारतों में छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण (पीयूडीए) नगर निगम सीमाक्षेत्र से बाहर लागू भवन उपनियमों में भी संशोधन कर रहा है, ताकि उन क्षेत्रों में निर्मित इमारतों में छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया जा सके जहां भूजल स्तर गिर रहा है।
10. पंजाब सरकार ने भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए निचले बांधों का निर्माण किया है। ये बांध राज्य के भूजल संसाधनों को बढ़ाने और गिरते भूजल तालिका को रोकने में मदद करते हैं।

*****